भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बरहमपुर
Indian Institute of Science Education and Research Berhampur
Established by the Ministry of Education, Govt. of India

RIGHT TO INFORMATION

राजभाषा कार्यान्वयन प्रकोष्ठ
कार्यालय आदेश

सं. आईआईएसईआरबीपीआर/रा.भा/परिपत्र/2025/03 दिनांकः अक्टुबर 08, 2025

विषयः राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जांच बिंदुओं की स्थापना करने के संबंध में।

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम 1976 में केंद्रीय सरकार के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विभिन्न उपबंधों तथा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर राजभाषा नीति को कार्यान्वित करते हुए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु राजभाषा नियम 12 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन से निम्नलिखित जांच बिंदुओं की स्थापना की जाती हैः

क्र.सं.	कार्य का मद	जांच बिंदु/अनुपालन का उत्तरदायित्व
01	धारा 3(3) का अनुपालन	ऐसे अधिकारी, जो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले किसी दस्तावेज जैसे सामान्य आदेश (जिसमें कार्यालय आदेश भी शामिल है), परिपत्र, ज्ञापन, सूचना, संकल्प, अधिसूचना, नियम, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन, संविदा, करार, निविदा सूचना, निविदा प्रारुप, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे वे अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जारी किए जाने वाले कागजात अनिवार्य रुप से द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) जारी हो रहे हैं।
02	राजभाषा नियम 1976, नियम – 5 का अनुपालन	ऐसे अधिकारी, जिनसे हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर देना अपेक्षित है एवं जो उस उत्तर पर हस्ताक्षर कर रहें हैं, सुनिश्चित करेंगे कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रुप से हिंदी में ही दिए जाएं।
03	नियम – 11 का अनुपालन – कोडों (संहिताएं), मैनुअलों, फॉर्मो और गजट की सामग्री का द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) प्रकाशन	ऐसे दस्तावेजों के अनुवाद कार्य हेतु केंद्रीय अनुवाद ब्युरो को अधिकृत किया गया है। इसलिए संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त दस्तावेजों को प्रकाशन से पूर्व राजभाषा प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाए।
04	नागरिक चार्टर, जन सूचना बोर्ड, नामपट्ट, विजिटिंग कार्ड, रजिस्टर, रबड़ की मोहरें, सीलें, लिफाफें, लोगो, वाहनों पर कार्यालय का लोगो आदि शत-प्रतिशत द्विभाषी रुप में जारी करना।	इन सभी सामग्रियों को द्विभाषी रुप में जारी करने हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की सामग्रियों को उक्त नियम को अनुसार तैयार कराया जाए।
05	हिंद पुस्तकों की खरीद	पुस्तकालयाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि पुस्तकों की खरीद (जर्नल एवं मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर) पर खर्च की जाने वाली कुल राशी का 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जा रही है।
06	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि को असाधारण दशाओं को छोड़कर, सामान्यतः हिंदी में पत्र भेजना तथा लिफाफों पर पता हिंदी में लिखना	क) संबंधित अधिकारी जो इन पत्रों पर हस्ताक्षर कर रहे हों, सुनिश्चित करेंगे कि ये पत्र द्विभाषी हों। ख) डाक संभाग सुनिश्चित करेंगे कि लिफाफों पर पता हिंदी में लिखी गयी हो।
07	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर	संबंधित अधिकारी जो उक्त पत्रों के उत्तर पर हस्ताक्षर कर रहे हों, सुनिश्चित करेंगे कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के दृष्टिकोण से 'क' क्षेत्र से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाए।
08	फाइलों तथा रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) होना और प्रविष्टियां हिंदी में करना	संबंधित विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग, संभाग में फाइलों के नाम तथा रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी हों और प्रविष्टियां हिंदी में कि जा रही हैं।
09	फाइलों पर टिप्पणी	इसके लिए संबंधित विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग/संभाग में लिखे जाने वाले टिप्पण हिंदी में हों। हिंदी में प्रवीण, कार्यसाधक ज्ञान

		प्राप्त अधिकारीगण/कर्मचारीगणों से यह अपेक्षित है कि उनके द्वारा लिखी गयी टिप्पणीयां हिंदी में हो।
10	हिंदी भाषा (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत) तथा हिंदी टंकण/शब्द संसाधन प्रशिक्षण	क) भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी और सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों हेतु हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो। ख) डाटा एंट्री ऑपरेटरों/लिपिकों आदि के लिए हिंदी टंकण, शब्द संसाधन प्रशिक्षण अनिवार्य है। संबंधित विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि उनके नियंत्रणाधीन कर्मचारियों की सूची हिंदी भाषा या हिंदी टंकण, शब्द संसाधन का प्रशिक्षण हेतु राजभाषा कार्यान्वयन को प्रेषित कि जाए।
11	विज्ञापन, सूचना, निविदाएं आदि समाचार पत्रों में द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) छपवाना	संबंधित विभागाध्यक्ष जिनके विभाग से उक्त सामग्री का प्रकाशन हो रहा है, सुनिश्चित करेंगे कि हिंदी के समाचार पत्रों में हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाएं तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन दिए जाएं।
12	इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक सुविधाएं	कंप्युटर, लैपटॉप आदि के संदर्भ में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे द्वविभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) हो। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकांश कंप्युटर युनिकोड समर्थित हैं। अतः संगणक केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी उपकरणों में हिंदी फॉंट सक्रिय किए गए हैं।
13	नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठकों में भाग लेना	राजभाषा कार्यान्वियन प्रकोष्ठ यह सुनिश्चित करेंगे कि नराकास के बैठकों/कार्यक्रमों में नामित कार्मिक उक्त बैठकों में उपस्थित हों।
14	राजभाषा संबंधि प्रतिवेदनों में सूचना भरने हेतु आंकड़ा राजभाषा कार्यान्वियन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराना	संबंधित विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि राजभाषा कार्यान्वियन प्रकोष्ठ द्वारा मांगी गयी सूचनाएं तय समय सीमा से पूर्व उपलब्ध कराया जाए।
15	हिंदी कार्यशाला/हिंदी संगोष्ठी/हिंदी सम्मेलन/हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा का आयोजन	राजभाषा कार्यान्वियन प्रकोष्ठ उक्त कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
16	राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठकें/प्रशासनिक बैठकें तथा कार्यवृत्त	कार्यालय प्रमुख की अनुमति से उक्त बैठकों का कार्यवृत्त द्विभाषी में जारी करने हेतु, कार्यवृत्त राजभाषा कार्यान्वियन प्रकोष्ठ को प्रेषित किए जाने की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्षों की होगी।
17	गृह पत्रिका का प्रकाशन	राजभाषा कार्यान्वियन प्रकोष्ठ सुनिश्चित करेंगे कि नियमित तौर पर गृह पत्रिका का प्रकाशन किया जाए।
18	राजभाषा प्रोत्साहन योजना	हिंदी में मूल कार्य करने हेतु नगद योजना का कार्यान्वियन राजभाषा कार्यान्वियन प्रकोष्ठ द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
19	कार्यालय अध्यक्ष/वरिष्ठतम अधिकारी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वियन समिति की तिमाही समीक्षा के आधार पर अनुभागों का निरीक्षण तथा हिंदी में कार्य करने हेतु अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया जाना	अनुभागों का निरीक्षण तथा हिंदी में कार्य करने हेतु अनुभागों को विनिर्दिष्ट किए जाने का कार्यान्वियन राजभाषा कार्यान्वियन प्रकोष्ठ द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
20	हिंदी में कार्य करने हेतु कार्यालय को अधिसूचित किया जाना और 8(4) का आदेश जारी करना	राजभाषा कार्यान्वियन प्रकोष्ठ द्वारा इसका कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जाएगा।
21	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां	संकाय सदस्यों से संबंधित सेवा पुस्तिकाओं में हिंदी प्रविष्टि की जिम्मेदारी संकाय मामलों का कार्यालय एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों से संबंधित सेवा पुस्तिकाओं में हिंदी प्रविष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव कार्यालय की होगी।

22	टेलीफोन डायरेक्ट्री को द्विभाषी बनाना	संगणक केंद्र द्वारा इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
23	राजभाषा विभाग को प्रेषित करने हेतु हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना	क) संबंधित विभागों/संभागों से राजभाषा कार्यान्वयन प्रकोष्ठ में रिपोर्ट प्राप्त होने की अंतिम तिथिः समाप्त तिमाही के अगले माह की 07 तारीख (अवकाश होने की स्थिति में 10 तारीख) तक भिजवाने की कार्यवाही विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ख) राजभाषा विभाग को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजनाः राजभाषा कार्यान्वयन प्रकोष्ठ द्वारा सुनिश्चित कि जाएगी।
24	सामान्य जिम्मेदारी	राजभाषा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार जो पत्र, परिपत्र आदि हिंदी में या द्विभाषी में जारी होने चाहिए या जो प्रलेख द्विभाषी तैयार किए जाने हो, वे उसी रुप में जारी किए जाएं। निदेशानुसार यह देखने की जिम्मेदारी पत्र या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की है। अतः हस्ताक्षर करने से पूर्व ऐसे अधिकारी से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे दस्तावेज हिंदी में या द्विभाषी जारी किया जाना है।

सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने संबंधित विभागों/संभागों में हिंदी में हो रहे कार्य की निगरानी तथा उपरोक्त जांच बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग में सकारात्मक प्रगति हो सके।

Indian Institute of Science Education and Research Berhampur

कुलसचिव
श्री प्रदीप कुमार राय / Shri Pradeep Kumar Ray
कुलसचिव / Registrar
आई.आई.एस.ई.आर ब्रह्मपुर/IISER Berhampur
(An Institute of National Importance under MoE, GoI)

वितरण (ईमेल के माध्यम से) –

समस्त विभागाध्यक्ष, अधिकारी एवं कर्मचारीगण

प्रतिलिपि -

(क) माननीय निदेशक महोदय
(ख) माननीय कुलसचिव महोदय
(ग) निदेशक का कार्यालय
(घ) कुलसचिव का कार्यालय
(ङ) सदस्य राजभाषा कार्यान्वयन समिति
(च) संगणक केंद्र (संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)